न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
41 / 18	21.06.2018	2/5/19

अनुवान

1. अजय कुमार
2. राजकुमार पुत्रान श्री सोहनलाल जाति अहीरान निवासीयान ग्राम सममसपुर तहसील एवं जिला गुरूग्राम (हरियाणा)

:— प्रार्थीगण

बनाम

1. मंगतुराम
2. गंगाराम पुत्रान श्री लालमन
3. बरफी देवी पत्नी लालमन
4. प्रहलाद
5. माडिया पुत्रांन भूरिया
6. सुमन पुत्री लालमन जाति गुर्जरान निवासीयान ग्राम खेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) ।

:— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व
128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह यादव अभिभाषक प्रार्थीगण

प्रार्थीगण ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व
128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा
नम्बर 1027/291 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम में स्थित है। विवादित आराजी मिन
प्रार्थीगणों की खातेदारी कब्जा काश्त है। जिसपर मिन प्रार्थीगण काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ
रहे है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। विवादित आराजी से लगती हुई अप्रार्थीगण की आराजी है।
अप्रार्थीगण जो लड़ाकू व मुठमर्द प्रवृति के व्यक्ति है जो कानून कायदो की परवाह नही करते है। अप्रार्थीगण आये
रोज मिन प्रार्थी की विवादित आराजी की ड़ोल को मिसमार करते रहते है और लड़ाई झगड़े पर आमादा रहते है।
जिस कारण मिन प्रार्थीगणो ने अदालत श्रीमान में दावा हु0ई0 दवामी बअनुवान राजकुमार वगैरा बनाम गंगाराम
वगैरा दायर किया जिसका फैसला दिनांक 25.05.2017 को अदालत श्रीमान द्वारा मिन प्रार्थीगणो के पक्ष में किया
जाकर उक्त विवादित आराजी की पैमाईश करने के आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब कोटकासिम को दिये और
दिनांक 09.06.2018 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के आदेश क्रमांक/राजस्व/556 दिनांक 05.06.
2018 वाद सं0 261/2015 निर्णय दिनांक 25.05.2018 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा विवादित आराजी की
पैमाईश की गई और मौके पर उपस्थित लोगो के व प्रार्थीगण के मौका पर्चा पर हस्ताक्षर कराये गये । मौका पर्चा
संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण, मिन प्रार्थीगण को उक्त मौका पर्चा दिनांक 09.06.2018 के अनुसार अपनी
विवादित आराजी की पत्थरगढी नही करने दे रहे है बाधा पैदा कर रहे है। दिनांक 20.06.2018 को अप्रार्थीगणों ने
अलानीया तौर पर धमकिया दी कि हम इस मौका पर्चा दिनांक 09.06.2018 के अनुसार तुम्हे तुम्हारी विवादित
आराजी की पत्थरगढ़ी नही करने देगें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विवादित आराजी हाल ख0न0
1027/291 रक्बा 0.6600 हैक्टयेर वाके ग्राम खेड़ी की पुनः पैमाईश कर मौका पर्चा दिनांक 09.06.2018 के अनुसार
पत्थरगढ़ी कराई जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही। इसलिए उनके खिलाफ दिनांक 15.03.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस विद्वांन अधिवक्ता सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ओर कहा कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1027/291 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम में स्थित है। विवादित आराजी मिन प्रार्थीगणों की खातेदारी कब्जा काश्त है। जिसपर मिन प्रार्थीगण काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। विवादित आराजी से लगती हुई अप्रार्थीगण की आराजी है। अप्रार्थीगण जो लड़ाकू व मुठमर्द प्रवृति के व्यक्ति है जो कानून कायदो की परवाह नही करते है। अप्रार्थीगण आये रोज मिन प्रार्थी की विवादित आराजी की ड़ोल को मिसमार करते रहते है और लड़ाई झगड़े पर आमादा रहते है। जिस कारण मिन प्रार्थीगणो ने अदालत श्रीमान में दावा हु0ई0 दवामी बअनुवान राजकुमार वगैरा बनाम गंगाराम वगैरा दायर किया जिसका फैसला दिनांक 25.05.2017 को अदालत श्रीमान द्वारा मिन प्रार्थीगणो के पक्ष में किया जाकर उक्त विवादित आराजी की पैमाईश करने के आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब कोटकासिम को दिये और दिनांक 09.06.2018 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के आदेश क्रमांक/राजस्व/556 दिनांक 05.06.2018 वाद सं0 261/2015 निर्णय दिनांक 25.05.2018 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा विवादित आराजी की पैमाईश की गई और मौके पर उपस्थित लोगो के व प्रार्थीगण के मौका पर्चा पर हस्ताक्षर कराये गये । मौका पर्चा संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण, मिन प्रार्थीगण को उक्त मौका पर्चा दिनांक 09.06.2018 के अनुसार अपनी विवादित आराजी की पत्थरगढी नही करने दे रहे है बाधा पैदा कर रहे है। दिनांक 20.06.2018 को अप्रार्थीगणों ने अलानीया तौर पर धमकिया दी कि हम इस मौका पर्चा दिनांक 09.06.2018 के अनुसार तुम्हे तुम्हारी विवादित आराजी की पत्थरगढ़ी नही करने देगें। विवादित आराजी हाल ख0न0 1027/291 रक्बा 0.6600 हैक्टयेर वाके ग्राम खेड़ी की पुनः पैमाईश कर मौका पर्चा दिनांक 09.06.2018 के अनुसार पत्थरगढ़ी कराई जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

विद्वांन अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी ख0न0 1027/291 रक्बा 0.6600 हैक्टर वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में राजकुमार, अज्य कुमार पुत्रांन मोहनलाल अहीर सा0 समसपुर तहसील व जिला गुड़गांवा हरियाणा खातेदार अंकित है। तहसीलदार कोटकासिम दिनांक 09.06.2018 की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ने पैमाईश रिपोर्ट में अंकित किया है कि मैं इस पैमाईश से संतुष्ट नही हुं। इसलिए पुनः पैमाईश कर पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटकासिम को आदेशित किया जाता है कि आराजी ख0 न0 1027/291 रक्बा 0.6600 हैक्टर वाके ग्राम खेड़ी तहसील कोटकासिम की मुस्तकिल पॉईन्ट से पुनः पैमाईश कर पत्थरगढ़ी कराई जावे। तहसीलदार कोटकासिम को निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/5/19 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकुमार कस्वा (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner